

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 0 9. 01. 20

क्रमांक रीडर/2020/45

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 देवराज पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी मूढों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

1 सुजानसिंह पुत्र जवारसिंह 2 बलवन्तसिंह 3 मालसिंह 4 उदयसिंह पिसरान दीपसिंह 5 घमण्डसिंह 6 बेरीसालसिंह पिसरान इन्द्रसिंह 7 कमलसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत 8 गवरीदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट 9 माधुराम पुत्र जेरामाराम जाति ब्राह्मण 10 पोकराराम पुत्र भीयाराम 11 बांकाराम 12 ईशराराम पिसरान पेमाराम 13 रूपाराम पुत्र धीराराम 14 शान्ती पुत्री धीराराम 15 खीमाराम 16 राऊराम पिसरान पोकराराम जाति जाट निवासी पूनियों का तला (बूठ जेतमाल) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 509/2018 दिनांक- 07/09/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूनियों का तला पटवार क्षेत्र बूठ जेतमाल तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 180 रकबा 10.00 बीघा, खसरा संख्या 399 रकबा 21.09 बीघा कुल रकबा 31.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 09.1.20

क्रमांक :- रीडर/2020/46-49

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बूठ जेतमाल तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देवराज पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी मूढों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सुजानसिंह पुत्र जवारसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी पूनियों का तला (बूठ जेतमाल) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

